

जायांक नं० 2502
 अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 112।

Date - 8/9/23

सम्पत्ति अवधार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र नं० 1562/2023 आवेदन नं० 1562/2023

1. चूंकि श्री Auth. Secy. Canara Bank, Dhambad द्वारा आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर और अवधारों का तद्विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये नमूने के अनुसार विवरण से)

2. इसलिये मैं इसको सारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले दायतदारों और अवधारों के बारे में बही में और सारों सम्बन्ध अनुकाणियों में ता. 2019-20 में Jell Lake तक सारा धन गद और देती सारा के बाद निम्न सम्पत्तियों और अवधारों का पता पता है।

क्रम नं०	क) संपत्ति का विवरण	विभाजन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पत्तों के नाम		दस्तावेज की प्रतियों के पति निरूप		
				निवासी	दरवाजा	जिल्द II	वर्ग	पृष्ठ
1	Mouza no - 51, Dhambad, Khata no - Municipal Khata, Plot NO - 295, T. Area - 8.25 Decimals.							
	Well							

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। Bidyut Roy
 ख) 1. संपत्ति-पत्र की दशा में ध्यान की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। इसमें, कि इनको बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों पर जोड़, उभरा तापति की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार पर पता नहीं पला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- *[Signature]*

(पदनाम) - *clear*

तलाशी का सहायन और प्रमाणपत्र की जेंग निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- *[Signature]*

(पदनाम) - *clear*

कार्यालय Dist sub Registrar office
Dharwad



तारीख 8/9/23

[Signature]
निश्चयन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत तापति विवरण के अनुसार दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं सम्पत्तियों की निश्चित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो येही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेंशन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नलिखित अधिनियम की धारा 47 के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुक्रमणियों (इन्वेंशन) की प्रविष्टियों देखाना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिस्तिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित तापतियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो, उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित शीस पर गुप्तान करने पर बहिया और अनुक्रमणियों उनके तापने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्पष्ट तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने कार्यालय सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की गिरी गूँथ के लिए गिरी की तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि कार्यालय द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवधारों के सहायन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त तापति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me
Bidyut Roy